न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.– 151 /2024

1. शांती पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. सुमन पुत्री महावीर जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. रोशनी पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीनीगण –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 30/07/24

प्रार्थीनीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 579 तादादी 12.4680 हेक्ट व खसरा सं. 138 तादादी 11.1529 हेक्ट., खसरा सं. 38 तादादी 12.3542 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीनीगण के नाम कमशः सन्तोष पुत्री हरचन्द, सुमन पत्नी महावीर, रेशमी पुत्री हरचन्द अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीनीगण के नाम कमशः शांती पुत्री हरचन्द, सुमन पुत्री महावीर, रोशनी पुत्री हरचन्द सही हैं। प्रार्थीनीगण के आधार कॅार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीनीगण के नाम कमशः शांती पुत्री हरचन्द, सुमन पुत्री महावीर, रोशनी पुत्री हरचन्द है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीनीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीनीगण जमाबन्दी में अपने नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। जमाबन्दी अपने नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीनीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 579 तादादी 12.4680 हेक्ट व खसरा सं. 138 तादादी 11.1529 हेक्ट., खसरा सं. 38 तादादी 12.3542 हेक्ट. में प्रार्थीनीगण के नाम कमशः शांती पुत्री हरचन्द, सुमन पुत्री महावीर, रोशनी पुत्री हरचन्द किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर ने से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार ने अलग से कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील वादी को दावा साक्ष्य से साबित करने की हिदायत दी गई। साक्ष्य वादी में गवाह अनिल कुमार पी.डब्लू. 01, गवाह चेत राम सहारण पी. डब्लू. 02 तथा गवाह सुनिल कुमार सहारण पी.डब्लू. 03 के शपथ पत्र पेश किये गयें। उक्त गवाहों के बयान लेख्यबद्ध किये गये। दावा को कोई खण्डन पेश नही हुआ। अतः साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए जांच रिपोर्ट के अनुसार दावा स्वीकार करने व राजस्व रिकॅार्ड में दुरूस्ती करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की जांच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान–पत्र से प्रार्थीगण के दस्तावेजीय नाम क्रमशः शांती पुत्री हरचन्द, सुमन पुत्री महावीर, रोशनी पुत्री हरचन्द है। गवाहन अनिल कुमार पी.डब्लू. 01, गवाह चेत राम सहारण पी.डब्लू. 02 तथा गवाह सुनिल कुमार सहारण पी.डब्लू. 03 जो विवादित भूमि के सह खातेदार है, के बयानों से भी दावा की पुष्टि होती है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 579 तादादी 12.4680 हेक्ट व खसरा सं. 138 तादादी 11.1529 हेक्ट., खसरा सं. 38 तादादी 12.3542 हेक्ट. की वर्तमान जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टि के सन्तोष पुत्री हरचन्द, सुमन पत्नी महावीर, रेशमी पुत्री हरचन्द के स्थान पर शांती पुत्री हरचन्द, सुमन पुत्री महावीर, रोशनी पुत्री हरचन्द अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करें। शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/07/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)